भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5182
(24 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत समस्याएँ

5182. डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम:

क्या ***ग्रामीण विकास*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के कार्यान्वयन में घोटालों, आंकड़ों में हेरफेर या अनियमितताओं की रिपोर्टों का संज्ञान लिया है;
(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान पता लगाए गए मामलों की संख्या सहित तत्संबंधी राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा ऐसी अनियमितताओं में संलिप्त पाई गई एजेंसियों अथवा अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाय) के तहत, दिशा-निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) सभी वैश्वासिक लेनदेन और गतिविधियों की निगरानी और ट्रैकिंग का एक कड़ा और सुदृढ़ तंत्र स्थापित करते हैं, जिनका सभी राज्य सरकारों और पीआईए द्वारा पालन और अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और भ्रष्टाचार-रोधी उपायों को बनाए रखने के लिए की गई पहल निम्नानुसार हैं:

1. एक इंटरनेट-सक्षम ईआरपी प्रणाली के माध्यम से समवर्ती निगरानी की व्यवस्था की गई है ताकि सभी हितधारक सहमत प्रदर्शन संकेतकों के सापेक्ष कौशल प्रशिक्षण के प्रदर्शन की निगरानी कर सकें। जाँच का पहला स्तर पीआईए की क्यू टीम द्वारा

प्रत्येक माह किया जाना है और निगरानी विवरण रियल टाइम निगरानी और गैर-अनुपालन की बढ़ोतरी के लिए ईआरपी पर दर्ज किए जाएंगे। अन्य सभी निरीक्षणों का उद्देश्य यह सत्यापित करना होगा कि पीआईए की क्यू टीम द्वारा निरीक्षण से प्राप्त परिणाम, प्रशिक्षण केंद्र और कार्यस्थल की वास्तविकता का सटीक प्रतिबिंब थे। सभी निरीक्षण एक-दूसरे से स्वतंत्र होंगे।

2. राज्य स्तर पर तकनीकी सहायता एजेंसियां (टीएसए) कौशल भारत के माध्यम से परियोजनाओं की प्रगति की नियमित निगरानी करेंगी और ऑनलाइन एमआईएस के उपयोग और कार्यप्रणाली में सुधार के लिए गैर-अनुपालन की पहचान करने और सूचित करने हेतु मासिक सलाह/मार्गदर्शन नोट जारी/अपलोड करेंगी।
3. पीआईए को मार्गदर्शन नोट अपलोड होने के एक सप्ताह के भीतर उसमें उठाए गए बिंदुओं का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
4. प्रशिक्षण केंद्रों का आवधिक निरीक्षण निम्नानुसार अनिवार्य किया गया है:

i. पीआईए की क्यू टीम प्रत्येक माह में एक बार प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण करेगी।

ii. राज्य स्तर पर टीएसए प्रत्येक तीन माह में एक बार प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण करेगी।

iii. ग्रामीण विकास मंत्रालय की केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (सीटीएसए) कौशल भारत निरीक्षण ऐप के माध्यम से हर चार माह में एक बार: ग्रामीण विकास मंत्रालय की सीटीएसए प्रत्येक चार माह में एक बार प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण करेगी।

5. इन दौरों की कार्यवाही जीपीएस-सक्षम वीडियो/ऑडियो क्लिप के माध्यम से दर्ज की जाएगी तथा केंद्र प्रबंधकों एवं प्रशिक्षकों द्वारा अनुपालन के लिए कार्रवाई बिंदुओं सहित कौशल भारत पर अपलोड की जाएगी और अनुपालन की निगरानी की जाएगी।
6. प्रशिक्षक और प्रशिक्षुओं की आधार-सक्षम बायोमेट्रिक/फेस रिकग्निशन उपस्थिति प्रणाली लागू की गई है।
7. प्रशिक्षण केंद्रों की ऑनलाइन लॉगिंग: प्रशिक्षण केंद्रों का दैनिक खुलना और बंद होना जियो-टैग की गई टाइम-स्टैंप्ड कक्षा और प्रयोगशाला की तस्वीरों के साथ ऑनलाइन दर्ज किया जाना आवश्यक है।

डिफॉल्टर्स के रूप में पाए गए मामलों की संख्या का राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) मंत्रालय ने डीडीयूजीकेवाय 2.0 एसओपी के अध्याय 10 – डिफ़ॉल्ट हैंडलिंग प्रक्रियाओं के तहत ऐसी अनियमितताओं/मामलों से निपटने के लिए प्रावधान किए हैं, जिनमें संबंधित राज्य सरकार द्वारा काली सूची में डालना शामिल है।

<u>अनुबंध-I</u>

"दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत समस्याएँ" के संबंध में लोक सभा में 24.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 5182 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

डीडीयू-जीकेवाय के तहत डिफॉल्टर मामलों/पीआईए की सूची:

वर्ष	**राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र**	**डिफॉल्टर मामलों की संख्या**
2021	छत्तीसगढ़	1
	केरल	1
	महाराष्ट्र	4
	ओडिशा	10
2022	छत्तीसगढ़	10
	हरियाणा	1
	केरल	4
	त्रिपुरा	1
	उत्तराखंड	1
2023	छत्तीसगढ़	11
	मध्य प्रदेश	7
	ओडिशा	1
	त्रिपुरा	2
	उत्तराखंड	2
2024	त्रिपुरा	1
	उत्तराखंड	2
2025	उत्तराखंड	1
